|| श्री ||

निगरानी प्रकरण क्रमांक : ..../2018

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर म.प्र. ग्वालियर के न्यायालय में

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2018/2593

योगेन्द्र पिता श्री हरिसिंह जाति कलौता
आयु-वयस्क, व्यवसाय-कृषि
निवासी-ग्राम नेवरी तहसील हातोद
जिला इन्दौर (म.प्र.) ....प्रार्थी

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा पटवारी हल्का नेवरी
तहसील हातोद जिला इन्दौर (म.प्र.) ....प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर के अपील प्रकरण क्रमांक 0488/अपील/2017-18 में दिनांक 26/03/2018 की आदेशिका जिसके अंतर्गत प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन धारा 52 पर कुछ भी आदेश ना देते हुए दिनांक 26/03/2018 को जो आदेशिका में आदेश पारित किया है, उससे असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :-

|| प्रकरण के तथ्य ||

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम नेवरी तहसील हातोद जिला इन्दौर की सर्वे नम्बर 298 एवं 299 रकबा क्रमशः 2.525 हेक्टर एवं 0.405 हेक्टर की भूमि शासकीय अभिलेखो में तालाब/पाल के रुप में दर्ज रही है।

2. यह कि, उक्त ग्राम नेवरी की बसाहट 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी होकर पूर्व में होल्कर राज्य के समय में उक्त भूमि में तालाब रहा होगा, किन्तु कालांतर में यह तालाब की भूमि पूर्ण रुप से गांव के बसाहट में आ गयी होने से तथा तालाब में पानी ना भरने के कारण इस भूमि का तालाब के रुप में विगत् 70-80 वर्षो से अधिक समय से उपयोग नही हो रहा है। कालांतर पश्चात् ग्राम वासियों ने इस पाल की भूमि पर रहवासी मकान, अपने पशुओं को बांधने के कोठे एवं कृषि उपकरण आदि रखने के लिये उपयोग में लायी है। वस्तुतः यह तालाब की भूमि अब गांव के मध्य में

अविरत..........(2)

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका (योगेन्द्र/शासन)

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/2018/2593

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17-4-2018	आवेदक अधिवक्ता श्री योगेश वर्मा उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-3-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित प्रकरण में स्थगन आवेदन पर बहस होने के उपरांत भी कोई आदेश पारित नहीं करने के कारण प्रस्तुत की गई है। अतः इस निगरानी का का अंतिम निराकरण अपर आयुक्त को इन निर्देशों के साथ किया जाता है कि वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन पर आदेश पारित करें । अपर आयुक्त को इन निर्देशों के साथ यह निगरानी समाप्त की जाती है । अध्यक्ष	